

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/

दिनांक

प्रार्थीगण :-

- 1.सरदारा पुत्र परसाराम
- 2.एलमों पत्नि सरदाराराम
- जातियान मेघवाल
- निवासी इब्रे का तला तहसील धनाऊ

विप्रार्थीगण:-

- 1.गागन पुत्र सुगला के का.मु. :- 1/1 डूंगराराम 1/2. मोहनराम 1/3.राजाराम 1/4.किरपाराम 1/5.पपूराम
- 2.दयाराम पुत्र धारा, जातियान मेघवाल,
- निवासी मीठे का तला, 3.अर्जुनराम पुत्र धीराराम, जाति जाट
- निवासी नेहरों की नाडी, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 241/2023

दिनांक : 02.04.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र मीठे का तला के मौजा मंदिरवाला डेर के खेत खसरा सं. 614/483 रकबा 02.0720 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।

प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 753 to 756

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी सरदारा वगैरा
3. विप्रार्थीगण गागन के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(सूरजभाई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन